(17)

संख्याः 1358/VII-II-11/06-रा0मु0/2006

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड,
रूड़की-हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 01 जून 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु राजकीय मुद्रणालय रूड़की के अवचनबद्ध मदों में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की के पत्र संख्या 977/बजट/2011-12 दिनांक 05.05.2011 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु राजकीय मुद्रणालय, रूडकी के अधिष्ठान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मदों में निम्न विवरणानुसार/ प्रतिबन्धों के अधीन कुल **₹20100 हजार (₹ दो करोड़ एक लाख मात्र)** व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

कोड/मद का नाम	आवंटित बजट (₹ हजार में)
03-राजकीय मुद्रणालय, रूड़की अधिष्ठान	
31-सामग्री और सम्पूर्ति	20000
योगः	**20000**
104-अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	
03-छपाई की लागत	
42-अन्य व्यय	100
कुल योग	**20100**
	(₹ दो करोड़ एक लाख मात्र)

2- उक्त धनराशि अवचनबद्ध मदों में स्वीकृत की जा रही है तथा आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर-130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

4- व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदो में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि व्यय के पश्चात कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा, तथा धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में इंगित शर्तो के अधीन किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्षक–2058–लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 00–आयोजनेत्तर, 001–निदेशन एवं प्रशासन, 03–राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, अधिष्ठान एवं 104–अन्य साधनों से मुद्रण की लागत, 03–छपाई की लागत के अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्याः 141/XXVII(2)/2011 दिनांकः 30 मई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1358(1)/VII-II-11/06–रा0मु0/2006 तद् दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।